पांच सूत्री मांगों को लेकर यात्री संघर्ष समिति का प्रदर्शन, आज चक्का जाम की चेतावनी

एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और बुनियादी सुविधाओं की बहाली पर अड़े आंदोलनकारी

बक्सर (आससे)। चौसा रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर रेलवे यात्री संघर्ष समिति ने शुक्रवार को अनशन-प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित आंदोलन में स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन से पांच सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर शनिवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। समिति के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यादव, अधिवक्ता सह पूर्व जिला पार्षद ने कहा कि चौसा स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इसके बावजूद प्रमुख ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। यात्रियों को दूसरे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है।

समिति की प्रमुख मांग बक्सर-दीनदयाल उपाध्याय फास्ट पैसेंजर ट्रेन संख्या 03287/03288 का चौसा स्टेशन



पर दोनों दिशाओं में ठहराव सुनिश्चित करना है। इसके अलावा श्रमजीवी एक्सप्रेस, हावड़ा-अमृतसर मेल, मगध एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस का भी दोनों दिशाओं में ठहराव देने की मांग उठाई गई। समिति का कहना है कि इन ट्रेनों के रुकने से चौसा समेत आसपास के दर्जनों गांवों के यात्रियों को राहत मिलेगी। आंदोलनकारियों ने स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। उनकी मांग है कि परिसर में हाईमास्ट लाइट लगाई जाए। डीलक्स शौचालय और वातानुकूलित रिटायरिंग रूम की व्यवस्था की जाए। यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर लगाया जाए। साथ ही कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की जाए, ताकि यात्रियों को टिकट आरक्षित कराने में सहूलियत मिल सके।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चौसा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार अब जरूरी हो गया है। रेलवे प्रशासन को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। समिति ने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन में अधिवक्ता रामलखन पाल, अधिवक्ता अश्वनी वर्मा, अधिवक्ता रामचंद्र मालाकार, मीर हमजा, पूर्व मुखिया रामभजन राम, पूर्व सरपंच इम्तियाज रजक, सिकरौल बीडीसी, भरत पांडेय, इंजीनियर नितेश उपाध्याय, सुधीर माली समेत दर्जनों लोग शामिल रहे।

ट्रक से कुचलकर शिक्षक की मौत

बक्सर (आससे)। जिले में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इटाढ़ी-धनसोई मार्ग पर चिरइटांड मोड़ के समीप हुआ। शिक्षक अपने घर से स्कूल जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, मृत शिक्षक की पहचान चौसा प्रखंड के सरेजा गांव निवासी काशी रजक के पुत्र वीरेंद्र रजक के रूप में हुई है। वह शहर के मित्रलोक कॉलोनी स्थित अपने आवास से स्कूटी पर सवार होकर धनसोई के उधोपुर प्राथमिक विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब नौ बजे चिरइटांड मोड़ के समीप सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद वह ट्रक के साथ कुछ दूर तक घसीटते चले गए। इस भीषण हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना गंभीर था कि शिक्षक को बचने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

मिट्टी की सेहत सुधारने और पैदावार बढ़ाने के गुर सीखेंगे प्रशिक्षणार्थी

कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

बक्सर (आससे)। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और फसलों की पैदावार बढ़ाने की आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। आईसीएआर के पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना के तत्वावधान में आयोजित इस सर्टिफिकेट कोर्स का विषय समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है। 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में 40 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान 32 सैद्धांतिक और 12 व्यावहारिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे।

प्रतिभागियों को पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, मृदा परीक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखने की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।

कार्यक्रम का उद्घाटन सदर एसडीएम अविनाश कुमार, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. पारसनाथ और कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉ. देवकरण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉ. देवकरण ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इस विषय पर तीसरे बैच का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। साथ ही केंद्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। मुख्य अतिथि अविनाश कुमार ने कृषि विविधीकरण पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए टिकाऊ खेती अपनाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। वहीं, डॉ. पारसनाथ ने समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने समस्याग्रस्त भूमि की पहचान और उसके सुधार से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी दी।

प्रशिक्षण के पहले दिन डॉ.



देवकरण ने पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्वों और उनकी वृद्धि व पैदावार में भूमिका के बारे में बताया। वहीं, डुमरांव कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र कुमार ने मृदा परीक्षण की विधि पर सैद्धांतिक कक्षा ली। इस दौरान सोनी देवी, खुशी कुमारी, नीतू कुमारी, पिंकी कुमारी, अंशु कुमारी, पप्पू यादव, अजय कुमार पांडेय, विक्की राज, प्रमोद कुमार सिंह और राजेश कुमार यादव सहित 40 से अधिक प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन में कृषि विज्ञान केंद्र के आरिफ प्रवेज, रवि चटर्जी, राकेश मणि, राजेश कुमार राय और मुकेश कुमार ने सहयोग किया।

कुरकुरे लूटकांड का चार घंटे में खुलासा, एक गिरफ्तार

एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने पड़री से बरामद की 80 पेटी, अन्य की तलाश जारी

बक्सर (आससे)। नया भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर



पर्दाफाश कर दिया है। शुक्रवार को डुमरांव अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ भास्कर रंजन ने मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई कुरकुरे की 80 पेटियां भी बरामद कर ली हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नया भोजपुर थाना अंतर्गत भैसहां पुल के समीप एक पिकअप वैन को निशाना बनाया गया। बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने मिलकर पिकअप से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लिया। त्वरित कार्रवाई के लिए डुमरांव एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान और खुफिया सूचना के आधार पर संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। इस दौरान ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के ग्रहथा कला निवासी अंजु कुमार सिंह, पिता- हृदयानंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पड़री के पास स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। वहां से लूटी गई कुरकुरे की सभी 80 पेटियां सकुशल बरामद कर ली गईं। मामले में नया भोजपुर थाने में धारा 309(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस वारदात में शामिल अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सफल उद्भेदन करने वाली टीम में डुमरांव एसडीपीओ भास्कर रंजन, अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार, नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार, सब-इंस्पेक्टर रूबी कुमारी, डीआईयू टीम और नया भोजपुर थाने के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत

बक्सर(आससे)। नया भोजपुर थाना क्षेत्र के एनएच-922 पर पुराना भोजपुर के समीप गुरुवार की रात सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कन्हौर गांव निवासी उमेश बिंद के 22 वर्षीय पुत्र बीपी कुमार के रूप में हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा शर्मा ने बताया कि युवक दशहरा मेला घूमने के लिए अपने ननिहाल पुराना भोजपुर आया था। इसके बाद से वह वहीं रह रहा था। शाम वह किसी काम से बाइक लेकर बाहर निकला था। रात करीब नौ बजे वह घर लौट रहा था। इसी दौरान पुराना भोजपुर के समीप एक स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसके सिर से खून बह रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके ननिहाल पुराना भोजपुर और पैतृक गांव कन्हौर में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

आधुनिक बिहार के निर्माण में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह का योगदान ऐतिहासिक : डॉ. अखिलेश प्रसाद

श्रीबाबू की 139वीं जयंती पर 25 को बापू सभागार में होगा भव्य समारोह, दिया निमंत्रण

बक्सर (आससे)। आधुनिक बिहार के निर्माण में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह का योगदान ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने बिहार को विकास की नई दिशा दी। औद्योगिक विकास से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने तक कई महत्वपूर्ण काम किए। ये बातें राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को शहर के बगीचा उत्सव लॉन में कहीं। वे श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर आयोजित होने वाले समारोह का निमंत्रण देने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को पटना के बापू सभागार में जयंती समारोह आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि बक्सर जिले से हर साल बड़ी संख्या में श्रीबाबू के विचारों के समर्थक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस बार भी लोगों को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।

उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण सिंह सच्चे देशभक्त और कुशल प्रशासक थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे।



आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने आठ साल से अधिक समय जेल में बिताए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ बिहार के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही। डॉ. सिंह ने कहा कि श्रीबाबू के कार्यकाल में जमींदारी प्रथा समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए। औद्योगिक विकास को गति मिली। बरौनी रिफाइनरी, बरौनी खाद कारखाना, सिंदरी उर्वरक संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट और कोसी परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीबाबू की दूरदर्शिता ने बिहार के विकास की मजबूत नींव रखी। उनके शासनकाल को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी बेहतर प्रशासन का उदाहरण माना था।

उन्होंने कहा कि आज भी श्रीकृष्ण सिंह के विचार और कार्यशैली प्रासंगिक हैं। नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के संयोजक प्रो. शशि भूषण पांडेय ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, करगहर विधायक संतोष मिश्र, राजपुर के पूर्व विधायक विश्वनाथ राम, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पांडेय, सूरज सिन्हा और पूर्व अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय सहित अन्य नेताओं ने भी लोगों से समारोह में शामिल होने की अपील की। मौके पर आयोजन समिति के सदस्य अभिताभ शरण, गगन मिश्र, डॉ. देविका मिश्र, विमल कुमार सिंह, निधि पांडेय, कामेश्वर पांडेय, प्रमोद ओझा, त्रिलोकीनाथ मिश्र, नीलू मिश्र, गोपाल शर्मा, शशांक दूबे, विभोर द्विवेदी, संतोष पांडेय, शुभम तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

घर में चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

कट्टा-बंदूक, कारतूस और बनाने का उपकरण बरामद

बक्सर (आससे)। जिले के वासुदेवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।



पुलिस ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके ठिकाने से देशी कट्टा, एकनाली बंदूक, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को डुमरांव एसडीपीओ भास्कर रंजन ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि वासुदेवा बिंद टोली निवासी बिगन बिंद अपने घर में अवैध हथियार बना रहा है। वह हथियारों के निर्माण के साथ उनका कारोबार भी करता है। सूचना मिलते ही डुमरांव एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल गठित किया गया। इसमें डुमरांव अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार, डीआईयू प्रभारी सुधीर कुमार, वासुदेवा थानाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

पुलिस टीम ने चिह्नित ठिकाने की घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान बिगन बिंद और उसके सहयोगी संतोष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिगन बिंद वासुदेवा बिंद टोली का निवासी है, जबकि संतोष शर्मा नावानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तलाशी के दौरान पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला।

मौके से दो देशी कट्टे, एक एकनाली बंदूक और एक अर्धनिर्मित देशी कट्टा बरामद किया गया। इसके अलावा छह जिंदा कारतूस, एक खोखा और दो अर्धनिर्मित बैरल भी मिले। पुलिस ने 22 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इनमें हवा देने वाली भट्ठी, पुरानी ग्राइंडर मशीन, छेनी, सुम्मा, ड्रिल मशीन, रीमर, हथौड़ी, निहाई, पाइप, स्प्रिंग, रेती और प्लास समेत अन्य सामान शामिल हैं। इस मामले में वासुदेवा थाना कांड संख्या 125/26 के तहत आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन 3 नवंबर तक

बक्सर (आससे)। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार द्वारा संचालित राज्य के विभिन्न अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं (कला व विज्ञान) में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर ने बताया कि इच्छुक छात्र-छात्राएं 3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नामांकन राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, जिसकी परीक्षा 12 नवंबर को संबंधित जिलों में आयोजित की जाएगी। इसका परीक्षाफल 25 नवंबर को जारी होगा तथा नया शैक्षणिक सत्र 8 दिसंबर 2026 से शुरू होगा। इन विद्यालयों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी।

चयनित अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ भोजन, आवास, स्कूल ड्रेस, जूते और पठन-पाठन की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कॉमन रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आवेदन के लिए आय व आवासीय प्रमाण पत्र, अंक-पत्र, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। छात्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [द्धह्लह्लश्चह्य:// द्वद्वठुश्पद्वह्लह्ल4.ड्डद्धड्डड्डह्ल.द्दश1.द्वठ्ठ/ह्याष्ठश्पश्चद्वद्वह्ल/](द्धह्लह्लश्चह्य:/द्वद्वठुश्पद्वह्लह्ल4.ड्डद्धड्डड्डह्ल.द्दश1.द्वठ्ठ/ ह्याष्ठश्पश्चद्वद्वह्ल/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय बक्सर के दूरभाष संख्या 06183-299905 पर संपर्क किया जा सकता है।

समाहरणालय, समस्तीपुर
न्यायालय समाहर्त्ता, समस्तीपुर

बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 के अन्तर्गत जप्त
वाहन मालिकों/संबंधितों के लिए
-: अति अल्पकालीन नोटिस :-

एतद् द्वारा इस नोटिस के माध्यम से बिहार मद्यनिषेद्य और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 12 (क) के अलोक में आपको सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेद्य और उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम (क) एतद् द्वारा इस नोटिस के माध्यम से बिहार मद्यनिषेद्य और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 12 (क) के अलोक में आपको सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेद्य और उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम (क) के तहत शास्ति, जो नवीनतम बीमाकृत मूल्य के भुगतान करने पर वाहनों, सवारी/भूमि आदि को छोड़ने का प्रावधान किया गया है।

अतः प्रश्नगत वाहन के वाहन स्वामी होने के नाते उपरोक्त नियम के आलोक में यदि आप चाहें, तो स्वंय अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जप्त वाहन को मुक्त कराने हेतु इस नोटिस के साथ सलंग्न प्रपत्र **IV** में प्रश्नगत वाहन से संबधित निबंधन (ऑनर बुक), नवीनतम बीमा (इन्स्योरेंश) कागजात जिसमें इन्स्योरेंश की राशि **(Insured Declared Value)** स्पष्ट रूप अंकित हो तथा स्वयं से संबंधित पहचान पत्र/आधार कार्ड के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित कर सकते है।

निर्धारित तिथि तक आपकी प्रतिक्रिया/पक्ष अप्राप्त रहने की स्थिति में अग्रेतर विधिनुकूल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा :-

क्र० सं०	उत्पाद वाद संख्या	थाना का नाम	थाना कांड संख्या	जप्त वाहन का प्रकार	जप्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०/चेचिस नं०/इंजन नं०	गाड़ी मालिक का नाम/पता	सुनवाई का स्थान/तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16/26-27	शिवाजीनगर	136/2026	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BRO7AT-8855, Chessis No-MBLHAW125MHK77561, Engine No-HA11EYMHK66416	संतोष कुमार मुखिया, पे०-बिन्देश्वर मुखिया, सा०-घिवाही, थाना-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
2	20/24-25	कल्याणपुर	364/2024	पिकअप	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-06GE-3427, Chessis No-MA1ZN2TNKL5G10983, Engine No-TNL4F80361	रितेश कुमार, पे०-सुनील राय, सा०-अमृतपुर, थाना-वैशाली, जिला-वैशाली।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
3	08/26-27	वैनी	34/2026	साईकिल	.-	अज्ञात	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
4	13/25-26	वैनी	73/2025	ऑटो	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-33PA6322-3427, Chessis No-MDL41A25GWE26637, Engine No-BRZWGE29794	सुनील कुमार, पे०-जगदीश महतो, सा०-पतेपुर गोपीनाथ, थाना-पुसा, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
5	01/25-26	वैनी	58/2024	मैजिक भान	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR33GB-1352, Chessis No-MAT53072JYJ17856, Engine No-800CCD102JZXS57585	श्री संजय कुमार यादव, पिता-जवाहर यादव, सा०-बाबूपुर किशुनपुर, थाना-वारिसनगर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
6	01/25-26	वैनी	58/2024	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR33BE-4681, Chessis No-MD2A13EX5RCM41802, Engine No-DKXCRM08872	श्री बिटटू कुमार, पिता-श्री शम्भू पासवान, सा०-हरपुर महम्मदा, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
7	03/25-26	वैनी	49/2025	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR33BL-7089, Chessis No-MD2B68BXXRPGO3989, Engine No-DHXPRG56870	श्री शिवम कुमार, पे०-स्व० कपिल शर्मा, सा०-मोतीपुर, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
8	15/26-27	हथौड़ी	42/2026	साईकिल	-	चिंटू कुमार राम, पे०-जोगीर राम, सा०-मधुरापुर, थाना-हथौड़ी, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
9	10/26-27	कल्याणपुर	87/2026	वर	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR01HC2439, Chessis No-MBHHWB13SPB385808, Engine No-K12NP4210962	श्री रामप्रकाश महतो, पे०-छोटू महतो, सा०-हसनपुर किरत मुक्तापुर वार्ड नं०-15, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
10	04/26-27	हथौड़ी	21/2026	मोटसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-HR33AA1173, Chessis No-MBLHAR186HHE18216, Engine No-H2ND08A00646	बिजेन्द्र कुमार पासवान, पे०-लाल बाबू पासवान, सा०-टेलेघरा, मोरेजयराम, थाना-खानपुर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
11	18/25-26	समस्तीपुर रेल थाना	193/2025	ऑटो	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-07-PC-6196, Chessis No-MCG61R3CGJ2193305, Engine No-CGS21J03636	श्री रविभूषण ठाकुर, पे०-श्री राम नरेश ठाकुर, सा०-वार्ड नं०-03, ग्राम-गरूआरा सिंघिया खुर्द, थाना-मुफ्फसील, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
12	06/26-27	वैनी	38/2026	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR31AM6191, Chessis No-MD2B77AX5LRE72815, Engine No-PFXRLE4256	रंजीत चौधरी, पे०-आनंद चौधरी, सा०-राजवा, थाना-बंगरा, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
13	14/25-26	कल्याणपुर	428/2025	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR33AC-8305, Chessis No-MBLJAR159JGG01288, Engine No-JA86ETJG01523	श्री गुड्डू कुमार, पिता-श्री मनचुन राम, सा०-धुरूगामा, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
14	22/25-26	पूसा	78/2025	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR33AU9674, Chessis No-ME4JC83DDNG047706, Engine No-JC83EG3095863	श्री देवेन्द्र सहनी, पे०-श्री बाबूलाल सहनी, सा०-हरापुर महमदा, थाना-पूसा, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
15	01/26-27	पूसा	118/2023	बेलेरो पिकअप	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-05GA-1163, Chessis No-MA1ZN2GHKE3A20918, Engine No-GHD4M70263	मो० हसनैन, पे०-मो० मोफउल्दीन, ग्राम-वार्ड नं०-02 केसरिया नया गॉव, पूर्वी चम्पारण, बिहार, पितन-845424	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
16	01/26-27	पूसा	118/2023	बेलेरो	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-34P-3107, Chessis No-MA1XA2GHKF5831734, Engine No-GHF4B65050	मो० नसीम, पे०-मो०फैजुल रहमान, ग्राम-रसुलपुर कावा, पो०-कावाडीह वैशाली, जिला-वैशाली, पिन-843114	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
17	06/25-26	कल्याणपुर	62/2025	मोटरसाईकिल	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-33GA-9722, Chessis No-MAT464607LSB01530, Engine No-4SPCR10BZX604463	श्री दिनेश कुमार, पे०-योगेन्द्र राय, सा०-पुरूषोत्तमपुर, पो०-जनार्दनपुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026
18	06/25-26	कल्याणपुर	62/2025	योद्धा ईको	(1) रजिस्ट्रेशन सं०-BR-33AC-0582, Chessis No-MBLHARI89JHB19034, Engine No-HA10ACJHB52427	श्रीमती रूणा देवी, W/O-श्री अमरेश गिरी, सा०-रूमैली लदौढ़ा नियर मंदिर, जिला-समस्तीपुर।	श्रीमती पुष्पिता झा, पीठासीन पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर। 30.10.2026

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 013881 (District) 2026-27

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

जिलाधिकारी
समस्तीपुर